दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 06 जुलाई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 276

महत्वपूर्ण एवं खास

सब इंस्पेक्टर ने पत्नी की हत्या कर की खुदकुशी, सुसाइड नोट बरामद

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी प्लांट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के एक सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर खुदखुशी कर ली। पुलिस को पति पत्नी के शव उनके लैट से मिले हैं, साथ ही पुलिस ने शवों के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष भर पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था, हालांकि इस विवाह से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा दोनों के बीच किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता था। आज दोपहर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि, एनटीपीसी प्लांट दादरी आवासीय परिसर में सीआईएसएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर सुजीत और उसकी पत्नी का शव उनके कमरे में मिला है। शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। सुजीत के द्वारा उसमें लिखा गया है कि मैं अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं और अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं।

पीएम मोदी ने राम विलास पासवान को किया याद

नई दिल्ली (आरएनएस)। दलित नेता एवं लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक राम विलास पासवान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनसेवा और वंचितों, दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। वह सबसे अनुभवी सांसदों में से एक थे और उन्होंने समाजवादी समूहों से लेकर कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलों की सरकारों में मंत्री के रूप में सेवा दी। मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेरे मित्र दिवंगत राम विलास पासवान जी की जन्म जयंती है। आज उनकी कमी बहुत खल रही है। वह भारत के सबसे अधिक अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जनसेवा और वंचितों के सशक्तीकरण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पासवान के निधन के बाद से उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है। उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस दोनों ही पासवान की राजनीतिक विरासत पर दावा जता रहे है। चिराग अपने पिता की पारंपरिक लोकसभा सीट हाजीपुर से यात्रा शुरू करने वाले हैं, ताकि अपने पक्ष में पार्टी समर्थकों को जुटा सकें।

राफेल सौदा : मोदी सरकार की भूमिका की जांच हो : माकपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। माकपा ने राफेल सौदे में सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की। पार्टी ने एक बयान में कहा कि फ्रांसीसी लोक अभियोजन सेवा (पीएनएफ) ने मोदी सरकार द्वारा 2016 में राफेल लड़ाकू विमानों के लिए किए गए अरबों डॉलर के सौदे में एक फ्रांसीसी न्यायाधीश द्वारा जांच करने का आदेश दिया है और पीएनएफ की वित्तीय शाखा के एक निर्णय के बाद, 14 जून को अंतर-सरकारी समझौते में न्यायिक जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। माकपा ने कहा कि एक फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट द्वारा उजागर किए गए सौदे से संबंधित आधिकारिक कागजात बताते हैं कि राफेल जेट के निर्माता दसॉल्ट एविएशन और अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने मोदी के नए सौदे की घोषणा और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इससे बाहर करने से 15 दिन पहले 26 मार्च, 2015 को एक समझौता किया था। पार्टी ने कहा कि यह माकपा द्वारा उठाई गई आशंकाओं की पुष्टि करता है कि पहले के खरीद समझौते से प्रधानमंत्री मोदी का हटना गहरे भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इसने कहा, पोलित ब्यूरो इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री और सरकार की भूमिका की जांच करने और सौदे की सच्चाई स्थापित करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की सितंबर, 2018 में उठाई गई अपनी मांग को दोहराता है।

छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर : कोरोना संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे पहुंची

» आज को-मॉर्बिडिटी से हुई तीन मौत

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायों से प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। आज 4 जुलाई को प्रदेश में संक्रमण की दर गिरकर एक प्रतिशत से नीचे 0.98 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राज्य में आज 23 हजार 479 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें से मात्र 229 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना से होने वाली मौतें भी थम सी गई हैं। आज को-मॉर्बिडिटी से रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा और गरियाबंद जिले में एक-एक मरीज की मौत हुई।

प्रदेश के 14 जिलों में संक्रमण की दर अब एक प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गई है। शेष 14 जिलों में यह दर एक प्रतिशत से लेकर अधिकतम 3.42 प्रतिशत तक है। राज्य में वर्तमान में कुल पॉजिटिव मरीजों की सं या 5345 है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के टीकाकरण का अभियान तेजी से जारी है। टीकाकरण का आंकड़ा यहां एक करोड़ को पार कर गया है।

संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन एवं महापौर सफीरा साहू को नेता प्रतिपक्ष एवं वार्ड के पार्षद ने कराया अपने वार्ड का भ्रमण , कराया समस्यायों से अवगत

आज आमचो सुघ्घड.गार्डन योजना के तहत डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में स्थित ऐतिहासिक नेताजी शहीद पार्क में सफ़ाई अभियान में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के लोगों ने ज़ोर शोर से हिस्सा लिया !

कार्यक्रम के पश्चात जगदलपुर क्षेत्र के मान विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ,मान महापौर सफीरा साहू एवं एमआईसी यशवर्धन राव के द्वारा पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के वार्ड का भ्रमण भी किया गया ! इस दौरान वार्ड में निर्मित व्यायामशाला भवन में जिम सामग्री , मोहन नगर मार्ग पर अधूरे सामुदायिक भवन को पूर्ण करने,सरदार दर्शन सिंग मार्ग में नाली निकासी ,आंगनबाड़ी भवन एवं मोहन नगर के विकास के लिए फण्ड की माँग वार्ड की जनता के द्वारा किया गया !

वार्ड के पार्षद संजय पांडे ने व्यायामशाला का निरीक्षण कराते हुए बताया कि इसे बने हुए लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं परंतु जिम सामग्री के अभाव में यह उद्देश्यहीन होकर ,आस पास के वार्डों के युवाओं को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है ! सामुदायिक भवन जो की 50 लाख रुपये में बन रहा था ,वह भी सात वर्षों से रुका पड़ा है ! कोर्ट में भी यह मामला नगर निगम के पक्ष में आया है तथा इसके बनने से इस वार्ड के लोगों को तथा आस पास के अन्य वार्ड के लोगों को एक अच्छी सुविधा निगम के द्वारा मिल पाएगी ! पहले जो पैसा आया था उसे मामला कोर्ट में पेंडिंग होने के कारण वापस कर दिया गया था ! जिसके कारण नये आकलन के हिसाब से 62 लाख रुपया की ज़रूरत होगी ! मोहन नगर के विकास के संबंध में भी पार्षद द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया किया और यह बताया गया कि इसके विकास में नगर निगम में क़ानून की बाध्यता है अपितु यह आप के विधायक निधि मदद से पुर्ण किया जा सकता है ! मान विधायक रेखचंद जैन एवं महापौर ने इसे गंभीरता से सुना एवं पूर्ण आश्वासन दिया है कि वह इन मामलों के विकास में पूरा समय व संसाधन उपलब्ध कराने और इसे पूर्ण कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे !

इसके पश्चात माननीय जन प्रतिनिधि सरदार दर्शन सिंह मार्ग में नाली की समस्या से अवगत हुए ! विदित हो कि यह नाली सालों से सनसिटी के बीच खेत से होकर बहती थी ,परंतु सनसिटी कॉलोनी के निर्माण के पश्चात यहाँ पर पानी को रोक दिया गया जिसके कारण यहाँ अत्यंत गंदगी है, गंदे पानी के जमाव के कारण यहाँ के लोगों को गंभीर बीमारी हो रही है ! जिस पर विधायक एवं महापौर द्वय ने कहा है कि वह कलेक्टर व आयुक्त नगर निगम से चर्चा कर इस समस्या का निदान शीघ्र करेंगे !

नेता प्रतिपक्ष एवं वार्ड के पार्षद संजय पांडे ने कहा है कि पूर्व में भी वह लगातार नगर निगम के महापौर,आयुक्त एवं कलेक्टर सभी से इन समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं ,और इसी कड़ी में आज मान विधायक जी का भी वार्ड में भ्रमण हुवा है और वे समस्याओं से अवगत हुए हैं ! आशा है कि इस दिशा में जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा शीघ्र पहलकर वार्ड की समस्याओं को दूर किया जाएगा।

सीबीएसई लेगी दो हिस्सों में 10वीं-12वीं के एग्जाम, तय किया गया सिलेबस

नई दिल्ली (आरएनएस)। सीबीएसई ने 2021-22 सत्र की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिये विशेष मूल्यांकन योजना घोषित कर दी है। अकादमिक सत्र को 50 -50 प्रतिशत सिलेबस के अनुसार दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में जबकि दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। 2022 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की योजना पर सीबीएसई ने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना कार्यों को और अधिक विश्वसनीय व वैध बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। सीबीएसई की तरफ से जारी प्रोफार्मा में बताया गया कि कोरोना के कारण इस बार बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ीं। सर्कुलर जारी करते हुए सीबीएसई ने कहा, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम को जुलाई 2021 में नोटिफाई किए जाने वाले पिछले शैक्षणिक सत्र के समान ही युक्तिसंगत बनाया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों को 31 मार्च को सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। इसके अलावा, कक्षा 9वें और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में तीन पिरियोडिक टेकस्ट्स, पोर्टफोलियो, और प्रैक्टिकल वर्क को शामिल किया जाएगा। वहीं, कक्षा 11वें और 12वें के इंटरनल असेसमेंट में यूनिट टेस्ट/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जाना तय किया गया है।

गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई

» 3 राज्यों में 40 ठिकानों पर की छापेमारी, 190 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

लखनऊ (आरएनएस)। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 40 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापा मारा है। सीबीआई की 40 टीमों ने लखनऊ, गाजियाबाद और देहरादून सहित 17 जिलों व शहरों में तलाशी की है। इस घोटाले में सोमवार को सीबीआई ने परियोजना से जुड़े 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कुल 189 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 173 प्राइवेट और 16 सरकारी अफसर शामिल हैं। यूपी में आज लखनऊ के साथ ही नोएडा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। 3 चीफ इंजीनियरों के साथ ही 6 सहायक इंजीनियरों के घरों में भी सीबीआई ने रेड मारी है।

अखिलेश यादव सरकार के दौरान गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने दूसरी एफआईआर दर्ज की है।

लखनऊ रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हैरानी की बात ये है कि 1437 करोड़ रुपये जारी होने के बाद भी सिर्फ 60 फीसदी काम ही किया गया था। 95 फीसदी बजट खर्च के बाद भी ठेका कंपनियों ने काम पूरा नहीं किया था।

सपा सरकार में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में साल 2017 में योगी सरकार ने जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग का गठन किया था। जांच में पता चला था कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में ही बदलाव कर दिया गया था। पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 800 टेंडर निकाले गए थे।

तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग

» तृणमूल के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सौंपा पत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात कर तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के सॉलिसिटर जनरल और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कथित मुलाकात गंभीर और अनुचित कृत्य है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों सुखेंदु शेखर राय और महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया था कि यह बैठक मेहता के आधिकारिक आवास पर हुई। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसदों द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है, कि भारत के शीर्ष विधि अधिकारियों में से एक और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त मेहता और भाजपा नेता के बीच इस तरह की मुलाकात से शुचिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने हालांकि अपने आधिकारिक आवास पर अधिकारी से इस तरह की मुलाकात से इनकार किया है। गौरतलब है कि अधिकारी कभी तृणमूल के कद्दावर नेता थे। वह 2016 के नारद टेप मामले में आरोपी हैं और मेहता उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का पक्ष रख रहे हैं।

पत्र में कहा गया है कि कई खबरों में इस कथित आमने-सामने की मुलाकात की बात कही गयी है, जिनके वीडियो और तस्वीरों भी सामने आई हैं। पत्र में कहा गया है, कि यह राष्ट्रीय महत्व का बेहद चिंताजनक मामला है और यह भारत के सबसे शीर्ष विधि अधिकारियों में से एक भारत के सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में शुचिता से जुड़ा गंभीर मामला है। इससे पहले, पार्टी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन, राय और मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पद से हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पार्टी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि मेहता और अधिकारी के बीच बैठक न केवल अनुचित है, बल्कि हितों का सीधा टकराव है और देश के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल के पद की गरिमा को भी कमतर करती है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा गया है, कि इसके बाद भी अधिकारी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई, जो अनुचित है और मामले को और गंभीर बनाती है।

रद्द कानून के तहत अभी भी हो रही एफआईआर

» सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये चौंकाने वाला है, जवाब दे केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था लेकिन पुलिस अभी भी इसके तहत मामले दर्ज कर रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और केंद्र से जवाब मांगा कि देशभर में अब तक इसके कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाला मामला है। गौरतलब है कि इसके खिलाफ एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस रोहिंटन नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की बेंच ने आवेदन दाखिल कर दर्ज मुकदमों के आंकड़ा मुहैया कराने कि मांग की है।

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, यह चौंकाने वाला है। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। पीयूसीएल ने द्वारा डाली गई याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईटी कानून की धारा 66 को 2015 में निरस्त किए गए जाने के बावजूद इसके तहत देश में तमाम लोगों को गिरतार किया गया।

टूलकिट की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कथित टूलकिट की जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी को टूलकिट पसंद नहीं है तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके लिए जो रेमेडी उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है।

इस याचिका में इस कथित टूलकिट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग की थी और जांच में आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा से पूछा कि राजनीतिक प्रोपेगंडा के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत कैसे एक याचिका पर विचार किया जा सकता है। लाइवलॉ डॉट इन के अनुसार न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आपको टूलकिट पसंद नहीं है तो इसे नजरअंदाज कर दीजिए। झा ने कहा कि कोरोना वायरस यूटेंट के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल करना एक प्रोपेगंडा था। उन्होंने कहा कि सिंगापुर ने सिंगापुर वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। इस पर न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, भारत एक लोकतंत्र है, आप जानते हैं? वहीं न्यायाधीश शाह ने कहा कि इस मामले में एक आपराधिक जांच पहले ही लंबित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के अलावा अन्य उपाय अपनाने चाहिए। अदालत ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते, याचिकाकर्ता को वैकल्पिक रास्ते अपनाने चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया था टूलकिट बनाने का आरोप- बता दें कि भाजपा ने बीते दिनों कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने सोशल मीडिया के लिए एक टूलकिट बनाई थी, जिसके अनुसार सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप या मोदी स्वरूप के रूप में पेश किया गया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस टूलकिट के जरिये देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को वैश्विक स्तर पर खराब करने की कोशिश की।

कांग्रेस ने खारिज किए हैं आरोप, उल्टे भाजपा पर आरोप- हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा उसे बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है और इसके लिए वह फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने टूलकिट मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मु यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है।